संख्या– 1748 /15–8–2022–3009/2022

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक(मा0)
उ0प्र0, लखनऊ।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–8

लखनऊः दिनांकः 24 नवम्बर, 2022

विषयः– उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा अधिनियम–1921 की धारा 16 छ के अधीन निर्मित विनियमों के अध्याय–3 के विनियम 103 से 107 में उपान्तरण किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांकः–सामान्य(1)प्रथम/306/2022–23 दिनांक09.05.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा–16 छ के अधीन निर्मित विनियमों के अध्याय–तीन के विनियम 103 से 107 में उपान्तरण किए जाने के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– अवगत कराना है कि उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा अधिनियम–1921 की धारा 16 छ के अधीन निर्मित विनियमों के अध्याय–3 के विनियम 103 से 107 में उपान्तरण हेतु स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान खण्ड के स्थान पर स्तम्भ–2 में एतद्द्वारा खण्ड निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता हैं :–

स्तम्भ–1 **विद्यमान खण्ड**	**स्तम्भ–2** **प्रतिस्थापित खण्ड**
103– यदि किसी मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त संस्था का शिक्षण या शिक्षणेत्तर स्टाफ के किसी कर्मचारी की जो विहित प्रकिया के अनुसार सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया हो, सेवाकाल में मृत्यु हो जाये तो उसके कुटुम्ब के एक सदस्य को जो 18 वर्ष से कम आयु का न हो, प्रशिक्षित स्नातक की श्रेणी में अध्यापक के पद रूप में या किसी शिक्षणेत्तर पद पर यदि वह पद के लिए विहित अपेक्षित शैक्षिक और प्रशिक्षण अर्हताऐं यदि कोई हो, रखता हो, और नियुक्ति के लिए अन्यथा उपयुक्त हो, नियुक्त किया जा सकता है। स्पष्टीकरण :– इस विनियम के प्रयोजनार्थ ''कुटुम्ब का सदस्य'' का तात्पर्य मृतक की विधवा/विधुर, पुत्र, अविवाहित या विधवा पुत्री से होगा। टिप्पणीः– यह विनियम और विनियम 104से 107 तक उन मृत कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी लागू होगा, जिनकी मृत्यु 01 जनवरी, 1981 को या उसके पश्चात् हुई हो ।	**103–** यदि किसी मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त संस्था (अल्पसंख्यक संस्था सहित) का शिक्षण या शिक्षणेत्तर स्टाफ के किसी कर्मचारी की जो विहित प्रकिया के अनुसार सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया हो, सेवाकाल में मृत्यु हो जाये और मृत कर्मचारी का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा केन्दीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो और 18 वर्ष से कम आयु का न हो, प्रशिक्षित स्नातक की श्रेणी में अध्यापक के रूप में या किसी शिक्षणेत्तर पद पर नियुक्त किया जा सकेगा, यदि ऐसा व्यक्तिः– (एक) पद के लिए विहित शैक्षिक या प्रशिक्षण अर्हतायें पूरी करता होः परन्तु यह और कि, किसी ऐसे पद पर नियुक्ति किए जाने की दशा में, जिसके लिए कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण एक अनियवार्य अर्हता के रूप में विहित की गयी है और मृतक कर्मचारी का आश्रित कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नही रखता है, तो उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्ति कर लिया

Ak Draft | 1048

	जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ''सी0सी0सी0'' प्रमाण–पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी प्रमाण पत्र के साथ–साथ हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति अर्जित कर लेगा और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन–वृद्वि रोक ली जायेगी, और कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण–पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने के लिए उसे एक वर्ष की अग्रेत्तर अवधि प्रदान की जायेगी, और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण–पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने में विफल रहता है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी। (दो) नियुक्ति के लिए अन्यथा उपयुक्त हो। स्पष्टीकरणः– इस विनियम के प्रयोजनार्थ (ग)''कुटुम्ब के सदस्य'' के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बधी होगेः– (एक) पत्नी या पति (दो) पुत्र या दत्तक पुत्र (तीन) पुत्रियां (जिसमें दत्तक पुत्रियॉ सम्मिलित है) और विधवा पुत्र बधुएँ। (चार) मृत सरकारी सेवक पर आश्रित अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था। (पांच) ऐसे लापता सरकारी सेवक, जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा मृत के रूप में घोषित किया गया है, के उपरिउल्लिखित सम्बन्धी। ''परन्तु यदि मृत सरकारी सेवक के उक्त उपरिउल्लिखित सम्बन्धियों से किसी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है या वह शारीरिक व मानसिक रूप से अनुपयुक्त पाया जाय और इस प्रकार सरकारी सेवा में नियोजन के लिए अपात्र हो तो केवल ऐसी स्थिति में शब्द ''कुटुम्ब'' के अन्तर्गत सरकारी सेवक पर आश्रित पौत्र और अविवाहित पौत्रियां भी शामिल होंगी।''
104– किसी मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त संस्था का प्रबन्धतंत्र या यथास्थिति प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक मृत्यु होने के दशा में मृत्यु होने के सात दिन के भीतर निरीक्षक को एक रिर्पोट प्रस्तुत करेगा, जिसमें मृत कर्मचारी का नाम, धृत पद, वेतनमान, नियुक्ति का दिनांक, मृत्यु का दिनांक, उसके नियोजक संस्था का नाम और उसके कुटुम्ब के सदस्यों का नाम, उनकी शैक्षिक अर्हतायें और आयु आदि दिया जायेगा। निरीक्षक अपने द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर में मृतक की विशिष्टियॉ दर्ज करेगा।	**104–** किसी मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त संस्था का प्रबन्धतंत्र या यथास्थिति प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक मृत्यु होने के सात दिन के भीतर निरीक्षक को एक रिर्पोट प्रस्तुत करेगा, जिसमें मृत कर्मचारी का नाम, धृत पद, वेतनमान, नियुक्ति का दिनांक, मृत्यु का दिनांक, उसके नियोजक संस्था का नाम और उसके कुटुम्ब के सदस्यों का नाम, उनकी शैक्षिक अर्हतायें और आयु आदि दिया जायेगा। निरीक्षक अपने द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर में मृतक की विशिष्टियॉ दर्ज करेगा।
105– विनियम–104 में निर्दिष्ट मृत कर्मचारी के कुटुम्ब का कोई सदस्य संबंधित निरीक्षक को शिक्षणेत्तर संवर्ग में किसी पद पर नियुक्ति के	**105–** विनियम 104 में निर्दिष्ट मृत कर्मचारी के कुटुम्ब का कोई सदस्य संबंधित निरीक्षक को अर्हतानुसार सहायक अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर संवर्ग में किसी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र

लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। आवेदन पत्र पर समिति द्वारा विचार किया जायेगा और समिति द्वारा उसकी नियुक्ति की संस्तुति किए जाने के पश्चात् उस संस्था के जिसमें आवेदक को विनियम 106 में दिये गये उपबन्धो के अनुसार सेवायोजित किया जाना है, प्रबन्धतंन्त्र या यथास्थिति प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक, को आवेदन पत्र नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए भेजेगा। समिति में निम्नलिखित होगेः– **1–** जिला विद्यालय निरीक्षक – अध्यक्ष **2–**जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में लेखाधिकारी – सदस्य **3–** जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी – सदस्य	प्रस्तुत करेगा। आवेदन पत्र पर समिति द्वारा विचार किया जायेगा और समिति द्वारा उसकी नियुक्ति की संस्तुति किए जाने के पश्चात् उस संस्था के जिसमें आवेदक को विनियम 106 में दिये गये उपबन्धों के अनुसार सेवायोजित किया जाना है, प्रबन्धतंन्त्र या यथास्थिति प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक, को आवेदन पत्र नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए भेजेगा। समिति में निम्नलिखित होगेः– **1–** जिला विद्यालय निरीक्षक – अध्यक्ष **2–** वित्त एवं लेखाधिकारी(माध्यमिक शिक्षा)– सदस्य 3–वरिष्ठतम् प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज/ राजकीय बालिका इण्टर कालेज, सदस्य परन्तु जहॉ मृत कर्मचारी के आश्रित द्वारा सेवायोजन हेतु पॉच वर्ष की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त सेवायोजन के लिए आवेदन करता है, वहॉ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियम समय–सीमा से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक् कठिनाई होती है, वहॉ वह अपेक्षाओं को जिन्हें वह मामले में न्याय–संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है: परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए सम्बन्धित व्यक्ति कारणों को स्पष्ट करेगा, और आवेदन करने के लिए नियत समय–सीमा के अवसान के पश्चात् सेवायोजन के लिए आवेदन करने में विलम्ब के कारण के संबंध में ऐसे विलम्ब के समर्थन में आवश्यक अभिलेखों/सबूत सहित लिखित में समुचित औचित्य देगा और सरकार विलम्ब के कारण के लिए सभी तथ्यों पर विचार करते हुए समुचित निर्णय लेगी।
106– मृत कर्मचारी के कुटुम्ब के सदस्य की नियुक्ति यथासंम्भव उसी संस्था में की जायेगी जहॉ मृत कर्मचारी अपने मृत के समय सेवारत था। यदि ऐसे संस्था मे शिक्षणेत्तर संवर्ग में कोई रिक्त न हो तो उसकी नियुक्ति, जिले के किसी अन्य मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त संस्था में जहॉ ऐसी रिक्ति हो, की जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि यदि सम्बन्धित जिले के किसी मान्यता, सहायता प्राप्त संस्था में ऐसी रिक्ति तत्समय विद्यमान न हो तो, उस संस्था में जहॉ मृतक अपनी मृत्यु के समय सेवारत था, नियुक्ति किसी अधिसंख्य पद पर तुरन्त की जायेगी। ऐसे अधिसंख्य पद को इस प्रयोजन के लिए सृजित किया गया समझा जायेगा और उसे तब तक जारी रखा जायेगा जब तक कोई रिक्ति उस संस्था में या जिले की किसी अन्य मान्यता, सहायता प्राप्त संस्था में उपलब्ध न हो जाये और ऐसी स्थिति में अधिसंख्य पद के पदधारी द्वारा की गयी सेवा की गणना वेतन	106– मृत कर्मचारी के कुटुम्ब के सदस्य की नियुक्ति यथासंम्भव उसी संस्था में की जायेगी जहॉ मृत कर्मचारी अपने मृत के समय सेवारत था। यदि ऐसे संस्था मे सहायक अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर संवर्ग में कोई रिक्ति न हो तो उसकी नियुक्ति, जिले के किसी अन्य मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त संस्था में जहॉ ऐसी रिक्ति हो, की जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि यदि सम्बन्धित जिले के किसी मान्यता, सहायता प्राप्त संस्था में ऐसी रिक्ति तत्समय विद्यमान न हो तो, जनपदीय समिति द्वारा प्रकरण मण्डलीय समिति को सन्दर्भित किया जायेगा तथा मण्डलीय समिति द्वारा मण्डल में उपलब्ध रिक्ति के प्रति मृत कर्मचारी के आश्रित को सेवायोजित किया जायेगा। यह भी कि यदि मण्डल स्तर पर पद रिक्त न हो अथवा मृत कर्मचारी का आश्रित अन्य मण्डम में अपनी नियुक्ति चाहता है तो प्रकरण निदेषालय को सन्दर्भित किया जायेगा, जिस पर निदेषालय स्तर पर निम्नवत गठित समिति द्वारा विचार किया जायेगाः– 1–अपर शिक्षा निदेशक(मा0) – अध्यक्ष, 2–संयुक्त शिक्षा निदेशक(अर्थ) – सदस्य 3–उप शिक्षा निदेशक (मा0–2/ मा0–3) –सदस्य

निर्धारण और सेवानिवृत्ति लाभों के लिये की जायेगी।	निदेशालय स्तर पर गठित समिति द्वारा विचारोपरान्त सहमति की दशा में जनपदों से प्राप्त रिक्ति के सापेक्ष सेवायोजन हेतु रिक्ति से सम्बन्धित जनपदीय समिति को अधिकृत किया जायेगा।
107– जिन मान्यता, सहायता प्राप्त संस्था द्वारा जिसको निरीक्षक द्वारा नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए आवेदन पत्र भेजा गया है, वह आवेदन पत्र की प्राप्ति के दिनांक से एक माह की अवधि के भीतर निरीक्षक को सूचना देते हुये नियुक्ति पत्र जारी करेगा।	107– जिन मान्यता, सहायता प्राप्त संस्था द्वारा जिसको निरीक्षक द्वारा नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए आवेदन पत्र भेजा गया है, वह आवेदन पत्र की प्राप्ति के दिनांक से एक माह की अवधि के भीतर निरीक्षक को सूचना देते हुये नियुक्ति पत्र जारी करेगा। समयान्तर्गत यदि निरीक्षक द्वारा युक्तयुक्त कारण न होने पर भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता, तो निरीक्षक के विरूद्व प्रत्यावेदन प्राप्त होने की दशा मे शिक्षा निदेशक द्वारा यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा अधिनियम–1921 की धारा 16 छ के अधीन निर्मित विनियमों के अध्याय–3 के विनियम 103 से 107 के संदर्भ में एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड के अनुसार कार्यवाही सुनिशिचित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर शिक्षा निदेशक(मा0)/वित्त नियंत्रक(मा0) उ0प्र0, प्रयागराज,
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा अधिनियम–1921 की धारा 16 छ के अधीन निर्मित विनियमों के अध्याय–3 के विनियम 103 से 107 के संदर्भ में प्रतिस्थापित खण्ड को सरकारी गजट में प्रकाशित कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशक/जिला विद्यालय निरीक्षक,उत्तर प्रदेश।(द्वारा शिक्षा निदेशक(मा0)
4. गार्ड फाईल।

17.11.2022

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

Ak Draft | 1051